BRBJ010006502016

SC/ST Case no. 147/2016

(एस0 सी0/एस0 टी0 थाना काण्ड संख्या 83 सन् 2015)

सूचक	राज्य द्वारा :– रामप्रवेश चौधरी, पे0 – स्व0 अगनु चौधरी, ग्राम – खोजपुरा, थाना – मखदुमपुर, जिला – जहानाबाद।
द्वारा प्रस्तुत	अभियोजन की तरफ से :– श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक ।
अभियुक्त	1. सुरेंद्र सिंह, उम्र – 62 वर्ष, पे0 – स्व0 नंद किशोर सिंह, ग्राम – हरिपुर, थाना – बक्सर मुफसिल, जिला – बक्सर।
द्वारा प्रस्तुत	अभियुक्त की ओर से :– श्री आत्मा सिंह, विद्वान अधिवक्ता।

25-05-2026

घटना की तिथि	19.08.2015.
प्राथमिकी की तिथि	19.10.2015.
आरोप पत्र की तिथि	30.11.2015.
आरोप विरचना की तिथि	12.07.2017.
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	24.01.2020.
निर्णय तय करने की तिथि	27.05.2026.
निर्णय की तिथि	27.05.2026.
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	----------

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त का रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छूटने की तिथि	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	आरोपित सजा	धारा 428 द0प्र0स0 के प्रयोजनों के लिए विचारण के दौरान निरोध की अवधि
1.	सुरेंद्र सिंह	27.01.2016	27.01.2016	341, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3 (1)(x)एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989	दोषमुक्त	–	–

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के लिये विचारण किया गया है।

2. प्राथमिकी के अनुसार, संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 19.08.2015 को सूचक बघौत स्थाई पौधशाला में मजदुरी का बकाया

मजदुरी भुगतान कर रहा था उसी समय सुरेन्द्र कुमार सिंह जो पशुरक्षक वन विभाग में वन श्रमिक के रूप में बक्सर में कार्यरत है, द्वारा सूचक के निजी मोबाईल नंबर पर यह धमकी दिये कि पशुरक्षको का बकाया मजदुरी का भुगतान आपके द्वारा नहीं किया जाता तो आपका हाथ पैर मारकर तोड दिया जायेगा। हाल में ही सुरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा वन प्रमण्डल कार्यालय आने के दरम्यान मे उनके द्वारा दुर से गाली–गलौज एवं हाथ पैर तोड देने की धमकी दी गई।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर एस0 सी0/एस0 टी0 थाना काण्ड संख्या 83 सन् 2015 दिनांक 19.10.2015 अंतर्गत धारा 341, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अधीन अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान पश्चात् अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध घटना को सत्य पाकर आरोप पत्र संख्या 106/15 दिनांक 30.11.2015 अंतर्गत धारा 341, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के दण्डनीय अपराध में न्यायालय में समर्पित किया गया। इस मामले में अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 17.08.2016 को अपराध का संज्ञान लिया गया।

27.05.2026

4. अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध दिनांक 12.07.2017 को धारा 341, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 में आरोप विरचित किया गया। विरचित आरोप अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिस पर अभियुक्त द्वारा आरोप से इंकार किया गया व विचारण की मॉग की गयी।

5. इस मामले में अभियोजन साक्षीयों के परीक्षण के उपरांत, न्यायालय द्वारा धारा– 313 दंड प्रकिया संहिता के अधीन उपरोक्त अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह का बयान दिनांक 27.05.2026 को अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अपने को निर्दोष बताया।

6. प्रस्तुत वाद में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगणों के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है?

मंतव्य

7. इस वाद में अभियोजन पक्ष ने कुल तीन साक्षीयों यथा अभियोजन साक्षी संख्या 1. कृश्ण मुरारी सहाय, अभियोजन साक्षी संख्या 2. योगेश यादव तथा अभियोजन साक्षी संख्या 3. राणा रविंद्र प्रसाद सिंह को प्रस्तुत करके परीक्षित कराया है।

8. अभियोजन साक्षी संख्या 1. कृष्ण मुरारी सहाय ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मै सुरेन्द्र सिंह को जानता है, वे विभाग मे काम करते है। रामप्रसाद चौधरी आरा में घटना के समय फॉरेस्टर के पद पर काम करते थे। मुझे

इस घटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। अभियुक्त को पहचानता हूँ। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आज न्यायालय में स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाव के बयान दिया हूँ। मेरा पुलिस में बयान नहीं हुआ था।

9. अभियोजन साक्षी संख्या 2. योगेश यादव ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मै इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। पुलिस में उसका बयान नहीं हुआ था। अभियुक्त को पहचानता हूँ। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया।

23.05.2026

साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आज न्यायालय में स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाव के बयान दिया हूँ। मेरा पुलिस में बयान नहीं हुआ था।

10. अभियोजन साक्षी संख्या 3. राणा रविंद्र प्रसाद सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 29.10.2015 को मै एस.सी./एस.टी. थाना में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। उसी दिन रामप्रवेश चौधरी के आवेदन के आधार पर मैने एस.सी./एस.टी. थाना काण्ड संख्या 83/2015 दिनांक 19.10.2015 अंतगर्त धारा 341, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) SC/ST Act दर्ज किया। लिखित आवेदन के पृष्ठाकंन पर थाना प्रभारी प्रवीन देव का लघु हस्ताक्षर है, इसे मै पहचान रहा हूँ। इसे पहचान पर प्रदर्श पी–1 अंकित किया जाता है। लिखित आवेदन के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर का पत्रांक संख्या 1690 दिनांक 01.10.2015 भी शिकायत के संबंध में आया था। वन प्रमंडल पदाधिकारी का शिकायत पत्र को पहचान पर प्रदर्श पी–2 अंकित किया जाता है। प्राथमिकी पर भी थाना प्रभारी प्रवीन देव का हस्ताक्षर को मै पहचान रहा हूँ, इसे पहचान पर प्रदर्श पी–1/2 अंकित किया जाता है। मैने थानाध्यक्ष के आदेशानुसार इस काण्ड का अनुसंधान भार ग्रहण किया। अनुसंधान के क्रम में कांड दैनिकी के कंडिका 1 में प्राथमिकी को अंकित किया। कंडिका 5 में वादी का पुनः बयान लिया। साक्षी कृष्ण मुरारी सहाय, योगेश यादव, बनारसी यादव का बयान लिया। घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस काण्ड का घटनास्थल वन विभाग के स्थायी पौधाशाला थाना आरा नगर अंतगर्त साकिन बघौत की है। इसी पौधाशाला में गम्हार के 10 पेड़ के नीचे वादी द्वारा वन श्रमिक के मजदुरी का भुगतान कर रहे थे, जिसका रूख पुरब है जिसके मेन दरवाजे पर लोहे का बना गेट लगा हुआ है। जिसके उतर में वन विभाग के स्थायी पौधाशाला बाद गांगी नदी है। दक्षिण में वन विभाग का लोहे के चदरा का बना गेट बाद बिहार सरकार का चाट, पूरब में वन विभाग के जमीन बाद बिहार सरकार का चाट बाद रघु टोला बस्ती। पश्चिम में वन विभाग की जमीन बाद रंग लाल यादव का परती जमीन। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त किया। पुलिस अधीक्षक महोदय का प्रतिवेदन 2 प्राप्त किया। अब तक के अनुसंधान, पर्यवेक्षण, वादी एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोप पत्र संख्या 106/2015 अंतगर्त धारा 341, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) SC/ST Act में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध समर्पित किया। आरोप पत्र

मेरी लिखावट व हस्ताक्षर में है, इसे मै पहचान रहा हूँ। इसे पहचान पर प्रदर्श पी–3 अंकित किया जाता है।

साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मै घटना के दिन ही घटनास्थल पर गया था। घटनास्थल पर जाने का समय काण्ड दैनिकी में अंकित नहीं है। मै घटनास्थल पर वादी के बताये अनुसार गया था लेकिन इसका उल्लेख काण्ड दैनिकी में नहीं किया है। श्रमिकों को जहाँ पैसा बांटा जा रहा था, उस स्थान का जिक्र काण्ड दैनिकी में नहीं किया गया है। वहाँ कुर्सी–टेबुल था या नहीं इसका उल्लेख भी काण्ड दैनिकी में नहीं किया गया है। घटनास्थल की चौहदी के लोगों से हमने पुछ–ताछ नहीं किया। ऐसी बात नहीं है कि मैने गलत अनुसंधान किया है और मै घटनास्थल पर गया ही नहीं था। थाना से घ टनास्थल पर जाने का रास्ता मै नहीं बता सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैने वरीय पदाधिकारी के कहने पर गलत आरोप पत्र समर्पित किया है।

23.05.2018

11. इस मामलें में राज्य की ओर से विद्वान् विशेष लोक अभियोजक द्वारा अंतिम बहस में कहा गया कि अभियोजन पक्ष सूचक के साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त पर आरोपित आरोंपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः उनके द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया गया।

12. बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का अंतिम बहस में कहना है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल तीन साक्षीयों को परीक्षित कराया है। अभियोजन साक्षी सूचक एवं अन्य साक्षी द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामला साक्ष्यविहिन है। अतः साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त के दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना करते है।

परिशीलन (Discussion)

13. उभय पक्षों के तर्कों को सुना तथा अभिलेख का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया गया।

14. आपराधिक विधि का यह स्थापित नियम है कि अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर होता है। इस संबंध में अभियोजन पर अपने मामले को सिद्ध करने का उतना ही भार रहता है, जितना एक व्यक्ति उस पर युक्तियुक्त विश्वास कर सके, इससे अधिक नही।

15. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से दर्शित है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा सूचक सहित कुल तीन साक्षीयों को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अन्य गवाह को न्यायालय में प्रस्तुत करा परीक्षित नही कराया है।

16. अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्षी संख्या 1 से 3 तक की साक्ष्य समीक्षा से दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि वह सुरेन्द्र सिंह को जानता है, वे विभाग मे काम करते है। रामप्रसाद चौधरी आरा में घटना के समय फॉरेस्टर के पद पर काम करते थे। उसे इस घ

ाटना के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। पुलिस में उसका बयान नहीं हुआ था। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आज न्यायालय में स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाव के बयान दिया हूँ। मेरा पुलिस में बयान नहीं हुआ था।

इस साक्षी का मुख्य परीक्षण में दिया गया साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में विखंडित होना पाता हूँ।

17. अभियोजन साक्षी संख्या 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। पुलिस में उसका बयान नहीं हुआ था। अभियुक्त को पहचानता हूँ। साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर पक्षद्रोही घ ोषित किया गया। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आज न्यायालय में स्वेच्छा से बिना किसी जोर दबाव के बयान दिया हूँ। मेरा पुलिस में बयान नहीं हुआ था।

इस साक्षी का मुख्य परीक्षण में दिया गया साक्ष्य प्रति परीक्षण में स्थिर नहीं रहना पाता हूँ।

18. अभियोजन साक्षी संख्या 3 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 29.10.2015 को वह एस.सी./एस.टी. थाना में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित था। उसी दिन रामप्रवेश चौधरी के आवेदन के आधार पर मैने एस.सी./एस.टी. थाना काण्ड संख्या 83/2015 दिनांक 19.10.2015 अंतगर्त धारा 341, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) SC/ST Act दर्ज किया। लिखित आवेदन के पृष्ठाकंन पर थाना प्रभारी प्रवीन देव का लघु हस्ताक्षर है, इसे मै पहचान रहा हूँ। लिखित आवेदन के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, भोजपुर का पत्रांक संख्या 1690 दिनांक 01.10.2015 भी शिकायत के संबंध में आया था। मैने थानाध्यक्ष के आदेशानुसार इस काण्ड का अनुसंधान भार ग्रहण किया। अनुसंधान के क्रम में कांड दैनिकी के कंडिका 1 में प्राथमिकी को अंकित किया। कंडिका 5 में वादी का पुनः बयान लिया। साक्षी कृष्ण मुरारी सहाय, योगेश यादव, बनारसी यादव का बयान लिया। घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस काण्ड का घटनास्थल वन विभाग के स्थायी पौधाशाला थाना आरा नगर अंतगर्त साकिन बघौत की है। इसी पौधाशाला में गम्हार के 10 पेड़ के नीचे वादी द्वारा वन श्रमिक के मजदुरी का भुगतान कर रहे थे, जिसका रूख पुरब है जिसके मेन दरवाजे पर लोहे का बना गेट लगा हुआ है। जिसके उतर में वन विभाग के स्थायी पौधाशाला बाद गांगी नदी है। दक्षिण में वन विभाग का लोहे के चदरा का बना गेट बाद बिहार सरकार का चाट, पूरब में वन विभाग के जमीन बाद बिहार सरकार का चाट बाद रघु टोला बस्ती। पश्चिम में वन विभाग की जमीन बाद रंग लाल यादव का परती जमीन। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त किया। पुलिस अध ीक्षक महोदय का प्रतिवेदन 2 प्राप्त किया। अब तक के अनुसंधान, पर्यवेक्षण, वादी एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोप पत्र संख्या 106/2015 अंतगर्त धारा 341, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) SC/ST Act में अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध समर्पित किया। आरोप पत्र मेरी लिखावट व हस्ताक्षर में है। साक्षी ने बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटना के दिन घटनास्थल पर गया था एवं घटनास्थल पर जाने का समय कांड दैनिकी में अंकित नहीं किया। घ

ाटनास्थल पर वादी के बताये अनुसार गया था लेकिन इसका उल्लेख कांड दैनिकी में नहीं किया। घटनास्थल के चौहदी के बारे में हमने लोगों से पुछताछ नहीं किया।

इस प्रकार समग्र समीक्षा से पाता हूँ कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 से 3 साक्ष्यविधि की दृष्टि में महत्वहीन है तथा प्रस्तुत मामला साक्ष्य विहीन है।

19. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सम्यक समीक्षा के उपरांत यह पाता हूँ कि चूंकि आपराधिक मामले में सबुत का भार सदैव अभियोजन पर होता है एवं आपराधिक मामले में जितना गंभीर अपराध हो, उतना ही स्पष्ट एवं कठोर साक्ष्य आना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त आपराधिक विधि का यह सुस्थिर सिद्धांत है कि संदेह कितना भी प्रबल क्यो न हो, वह सबुत का स्थान नहीं ले सकता। इसी प्रकार यह भी सुस्थित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाना सही होता है। अतएव यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध अंतर्गत धारा 341, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अपराध से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में आरोपित धारा 341, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(x) एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम, 1989 के अपराध से उन्हें संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

20. उपस्थित अभियुक्त सुरेन्द्र सिंह जमानत पर है। अतः उसे उसके जमानत व बंधपत्र के सभी दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

निणर्य आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित, दिनांकित, उद्घोषित
एवं शुद्धिकृत किया गया।

Shailendra Kumar Pandey
27-05-2026

(शैलेन्द्र कुमार पांडा)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोजपुर, आरा।

लेखापित
Shailendra Kumar Pandey
27-05-2026

(शैलेन्द्र कुमार पांडा)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोजपुर, आरा।